न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

(57)

प्रकरण क्रमांक– /2016/निगरानी निग 1083-I-16

रघुवीर सिंह पुत्र श्री लीलाधर शर्मा उम्र–59 वर्ष, व्यवसाय–कृषि निवासी–ग्राम बरगंवा तहसील कराहल जिला श्योपुर म0प्र0 --------आवेदक

बनाम

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर (म0प्र0)

2– रामहेत, नत्थू, रामनायण रूगनाथ पुत्रगण किसल्ली निवासी–ग्राम बरगवां तहसील कराहल जिला श्योपुर म0प्र0 फारमेल पक्षकार

3– तहसीलदार कराहल जिला श्योपुर म0प्र0

-------अनावेदकगण

दिनांक 2-4-16 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत

2-4-16

S.L. Dhakad Adv. 2/4/2016.

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 19/02/2016 पारित न्यायालय तहसीलदार तहसील कराहल जिला श्योपुर (म0प्र0) प्रकरण कमांक 39/14-15/बी-121

माननीय न्यायालय,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1– यहकि, ग्राम बरगंवा तहसील कराहल के भूमि सर्वे कमांक 77/2 रकवा 10574 होकर का प्रकरण कमांक 3/80-81/अ-19 अलाउटमेंट अधिकारी एवं नायब तहसीलदार तहसील कराहल जिला श्योपुर के आदेश दिनांक 11/04/1981 के द्वारा आवंटन कर कब्जा सौप दिया जिसे धन मेहनत कर खर्च कर कृषि योग्य

Leg-5/404

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1083–एक/2016 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता
21-4-16	यह निगरानी तहसीलदार कराहल जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 39/2014–15 बी–121 में पारित आदेश दिनांक 19–2–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक–2 फार्मल पक्षकार है। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से वस्तु स्थिति यह है कि ग्राम बरगमा स्थित भूमि सर्वे कमांक 696 रकबा 3.815 हैक्टर एंव दूसरी भूमि सर्वे नंबर 777/2 मिन रकबा 1.547 हैक्टर मूल रूप से विवादित है। तहसीलदार कराहल ने अनुविभागीय अधिकारी कराहल के पत्र दिनांक 11–5–15 पर से आवेदक के विरूद्ध बी 121 मद में प्रकरण कमांक 39/14–15 दर्ज किया है एंव आवेदक को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया हैं, जिसमें आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष बचाव में अभिलेख प्रस्तुत किया है। तहसीलदार ने आवेदक को सुनकर प्रकरण कमांक 39/14–15 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 19–2–16 से निर्णय लिया है कि भूमि सर्वे कमांक 696 रकबा 3.815 हैक्टर पूर्व में रामहेत, नथ्थू, रामनारायण, रूघनाथ पुत्रगण किसल्ली तथामहिला अमरी वेवा किसल्ली के नाम थी जो वर्तमान में आवेदक के	

नाम पर खसरे में अंकित होना पाई गई है तथा किस अधिकारी के आदेश से यह अंकन हुआ है अभिलेख न होने से आवेदक का नाम शासकीय अभिलेख से विलोपित किया जाय।

उक्त पर आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 3/1995–96 अ–46 में पारित आदेश दिनांक 7–8–1996 से भूमि सर्वे क्रमांक 696 रकबा 3.815 हैक्टर पर उसे भूमिस्वामी बनाया गया है एंव यह आदेश अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम है तथा तहसीलदार को पूर्वाधिकारी व्दारा पारित आदेश को स्वस्तर से पुनरावलोकन में लेने के अधिकार भी नहीं है। इस सम्बन्ध में आवेदक ने प्रमाण में खसरा संबत् 2051 से 2055 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके कालम नंबर 12 में इस प्रकार की प्रविष्टि अंकित है :–

श्रीमान तहसीलदार महो.कराहल के न्यायालय के प्र. क.3/1995–96अ–46 आदेश दिनांक 7–8–1996 से रामहेत वगैरह के स्थान पर रघुवीर प्रसाद पुत्र लीलाधर जाति ब्रा. नि.ग्राम बरगमा के नाम संपूर्ण रकबा पर नामा0 स्वीकार हुआ।

जब खसरा प्रविष्ट से आवेदक का उक्तांकित भूमि पर नामांत्रण स्वीकार किये जाने की पुष्टि हुई है तहसीलदार को स्वस्तर से पूर्वाधिकारी के आदेश को पुनरावलोकन में लेने की शक्तियॉ नहीं हैं जिसके **कारण तहसीलदार** कराहल व्दारा **प्रकरण क्रमांक 39/2014–15** बी–121 में **पारित आदेश** दिनांक 19–2–2016 विधि के प्रभाव से **अकृत** एंव शून्यवत् होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3/ तहसीलदार कराहल जिला श्योपुर ने प्रकरण क0

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1083-एक/2016 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता.
	39/2014-15 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 19-2-2016 के उक्त निर्णय के आगे यह भी निर्णय लिया है कि ग्राम बरगमा की भूमि सर्वे नंबर 777/2 रकबा 1.547 हैक्टर शासकीय अभिलेख में रघुवीर प्रसाद पुत्र लीलाधर जाति ब्रा0 नि0ग्राम शास.पटटेदार से भूमिस्वामी दर्ज है जिसमें कोई प्रकरण कमांक दर्ज नहीं है न ही किसी सक्षम अधिकारी का आदेश है जिसके कारण उन्होंने शासकीय अभिलेख से उक्तांकि भूमि पर से आवेदक का नाम विलोपित करने का निर्णय लिया है। आवेदक ने तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 3/80-81 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 11-4-1981 से आवेदक के हित में दिये गये पटटे की प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत कर बताया है कि ग्राम बरगमा की भूमि सर्वे नंबर 777/2 रकबा 1.547 हैक्टर का उसे पटटा प्राप्त है जिस पर से यह भूमि उसके नाम आई है। आवेदक के हित में जारी पटटे की प्रति एंव 11-4-1981 से उक्तांकित भूमि पर आवेदक के नाम की शासकीय अभिलेख में चली आ रही प्रविष्टि को तहसीलदार विलोपित करने हेतु क्या सक्षम है ? जब तक तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 3/80-81 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 11-4-1981 को सक्षम अधिकारी व्दारा निरस्त नहीं कर दिया जाता - तहसीलदार पटटा निरस्त करने की एंव शासकीय अभिलेख से आवेदक के नाम को विलोपित करने की शक्तियॉ नहीं रखते हैं	

अतएव तहसीलदार कराहल व्दारा प्रकरण कमांक 39/2014-15 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 19-2-2016 विधि के प्रभाव से शून्यवत् होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार कराहल व्दारा प्रकरण कमांक 39/2014-15 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 19-2-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य